मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 449] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 सितम्बर 2010—भाद्र 18, शक 1932

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2010

सूचना

क्र. एफ. 1-6-09-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की प्रथम अनुसूची में उस संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है जानकारी के लिए एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने पर उक्त संशोधन प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल को कक्ष क्रमांक 434 में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, मद चार लोक सेवायान में,—

(1) उप मद (घ) में,

(क) खण्ड (1) में, उप खण्ड (एक) तथा (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उप खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात :—

''(एक) 100 कि.मी. से अनधिक—

(क) वातानुकूलित/डीलक्स सेवा के लिए — रु. 250.00 प्रतिसीट प्रतिमास
(ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए — रु. 200.00 प्रतिसीट प्रतिमास

(दो) उसके पश्चात् प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए—

(क) वातानुकूलित/डीलक्स सेवा के लिए — रु. 20.00 प्रतिसीट प्रतिमास

(ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए — रु. 15.00 प्रतिसीट प्रतिमास";

(ख) खण्ड (2) में, उप खण्ड (एक) तथा (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात:—

"(एक) 100 कि.मी. से अनधिक — रु. 160.00 प्रतिसीट प्रतिमास

(दो) उसके पश्चात् प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए — रु. 10.00 प्रतिसीट प्रतिमास";

(ग) खण्ड (3) में, उपखण्ड (एक) तथा (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उप खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(एक) किसी पारस्परिक करार के अधीन—

(क) वातानुकूलित/डीलक्स सेवा के लिए — प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 20.00 प्रतिसीट प्रतिमास.

(ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए — प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 15.00 प्रतिसीट प्रतिमास.

(दो) पारस्परिक करार के बिना—

(क) वातानुकूलित/डीलक्स सेवा के लिए — रु. 40.00 प्रतिसीट प्रतिमास + प्रत्येक 10.00 कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 40.00 प्रतिसीट प्रतिमास.

(ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए — रु. 40.00 प्रतिसीट प्रतिमास + प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 15.00 प्रतिसीट प्रतिमास";

(घ) खण्ड (4) में, उप खण्ड (एक) तथा (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उप खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(एक) किसी पारस्परिक करार के अधीन — प्रति 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 10.00 प्रतिसीट प्रतिमास.

(दो) पारस्परिक करार के बिना — रु. 40.00 प्रतिसीट प्रतिमास + प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 10.00 प्रतिसीट प्रतिमास";

(2) उप मद (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित उप मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(ङ) ऐसे यान जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं, और जो परिवहन/आरक्षित परिवहन यान के रूप में उपयोग में लाये जाने के लिए रखे गए हैं—

(एक) वातानुकूलित/डीलक्स बस के लिए — रु. 230.00 प्रतिसीट प्रतिमास

(दो)	एक्सप्रेस/डीलक्स बस के लिए	—	रु. 180.00 प्रतिसीट प्रतिमास
(तीन)	साधारण बस के लिए	—	रु. 160.00 प्रतिसीट प्रतिमास";

(3) ठेका गाड़ी (कान्ट्रेक्ट कैरेज) की उप मद (च) में, खण्ड (7) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(8)	"ग्रामीण सेवा यान" से अभिप्रेत है ऐसे यान जिनकी बैठक क्षमता चालक एवं परिचालक को छोड़कर 6 से 21 यात्रियों की है तथा जो राज्य के कराधान प्राधिकारी द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 72 या 87 के अधीन मंजूर किए गए अनुज्ञा-पत्र के अधीन केवल "ग्रामीण मार्ग" पर अनन्यरूप से प्रक्रम मंजिली गाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं, चालक तथा परिचालक को छोड़कर प्रतिसीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात किया गया है.	—	रु. 60.00 प्रतिसीट प्रति तिमाही.".

No. F. 1-6-09-VIII.—The following draft of amendment of the First Schedule to the Madhya Pradesh Motoryan karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) (hereinafter, referred to as the principal Act) which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of the principal Act is hereby published as required by the proviso to sub-section (1) of Section 23 of the Principal Act for the information of all persons likely to be affected thereby and the notice is hereby given that the said draft of amendment will be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of pbulication in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Transport Department during office hours at Room No. 434, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal from any person with respect to the said draft of amendment before the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the First Schedule to the principal Act, in item IV-Public Service Vehicle,—

(1) in sub-item (d),—

(a) in clause (1), for sub-clauses (i) and (ii), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—

"(i) does not exceed 100 Km.,—

(a)	for air conditioned/deluxe service	—	Rs. 250.00 per seat per month
(b)	for express service	—	Rs. 200.00 per seat per month

(ii) thereafter for each 10 Km. or part thereof—

(a)	for air-conditioned/deluxe service	—	Rs. 20.00 per seat per month
(b)	for express service	—	Rs. 15.00 per seat per month";

(b) in clause (2), for sub-clauses (i) and (ii), the following sub-clauses shall be substituted, namely :—

"(i)	does not exceed 100 Km.	—	Rs. 160.00 per seat per month
(ii)	thereafter for each 10 Km. or part thereof	—	Rs. 10.00 per seat per month";

(c) in clause (3), for sub-clauses (i) and (ii), the following sub-clauses shall be substituted, namely :—

"(i) under a reciprocal Agreement—		
(a) for air-conditioned/deluxe service	—	Rs. 20.00 per each 10 Km. or part thereof per seat per month.
(b) for express service	—	Rs. 15.00 for each 10 Km. or part thereof per seat per month.
(ii) without a reciprocal Agreement,—		
(a) for air-conditioned/deluxe service	—	Rs. 40.00 per seat per month plus Rs. 40.00 for each 10 Km. or part thereof per seat per month.
(b) for express service	—	Rs. 40.00 per seat per month plus Rs. 15.00 for each 10 Km. or part thereof per seat per month";

(d) in clause (4), for sub-clauses (i) and (ii), the following sub-clauses shall be substituted, namely :—

"(i) under a reciprocal Agreement	—	Rs. 10.00 for each 10 Km.or part thereof per seat per month.
(ii) without a reciprocal Agreement	—	Rs. 40.00 per seat per month plus Rs. 10.00 for each 10 Km. or part thereof per seat per month.";

(2) for sub-item (e), the following sub-item shall be substituted, namely :—

"(e) vehicle permitted to carry more than six passengers and kept for use as Transport/reserved Transport Vehicles—

(i)	for air conditioned / deluxe bus	—	Rs. 230.00 per seat per month
(ii)	for express / deluxe bus	—	Rs. 180.00 per seat per month
(iii)	for ordinary bus	—	Rs. 160.00 per seat per month.";

(3) in sub-item (f) of contract carriage, after clause (7), the following clause shall be added, namely:—

"(8)	"Rural service vehicle" means the vehicle the seating capacity of which is 6 to 21 passengers excluding the driver and conductor and plying as stage carriage exclusively on "Rural Routes" under the permit granted under Section 72 or Section 87 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) by the Taxation Authority of the State for each seat excluding the Driver and conductor of which the vehicle is permitted to carry.	—	Rs. 60.00 per seat per quarter.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप राज द्विवेदी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.